(OS 19/8/21)

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर– 273012
Office of the General Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012

सं०- V9/2020/11/00384/PC / 167 दिनांक- 18 .08 .2021

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर.

विषय :- रेलवे चिकित्सकों द्वारा स्टेशन कॉल्स पर चार्ज किये जाने वाले परामर्श शुल्क के सम्बन्ध में।

****

एक सतर्कता जांच के क्रम मे पाया गया है कि उप-मंडलीय चिकित्सालय, गोंडा द्वारा अटेंड की जा रही स्टेशन कॉल पर लिया जाने वाला मेडिकल शुल्क (परामर्श शुल्क + औषधियों का खर्च) सभी पेशेंट से लिया जा रहा है अथवा नहीं इस तथ्य को चिकित्सालय में पूर्ण विवरण के साथ दर्ज नहीं किया जा रहा था। चिकित्सालय के रजिस्टर में कई पेशेंट्स के नाम के सामने यह भी दर्ज नहीं किया गया था कि उनको चिकित्सक द्वारा फ्री सर्टिफिकेट दिया गया है अथवा नहीं। फरवरी-2020 एवं मई-2020 में क्रमशः 11 व 10 पेशेंट्स को न ही फ्री सर्टीफाई किया गया था और न ही उनसे मेडिकल शुल्क (परामर्श शुल्क + औषधियों का खर्च) लिया गया था। जनवरी-2020 से दिसम्बर-2020 तक कुल 33 ऐसी स्टेशन कॉल्स पायी गयीं जिनमें कोई भी मेडिकल शुल्क (परामर्श शुल्क + औषधियों का खर्च) नहीं लिया गया था और न ही चिकित्सकों द्वारा उक्त कॉल्स को फ्री सर्टीफाई किया गया था। चूँकि जाँच केवल एक स्टेशन को संज्ञान में लेकर की गयी है और यदि पूर्वोत्तर रेलवे के सभी मुख्य स्टेशनों पर चिकित्सकों द्वारा अटेंड की जा रही सभी स्टेशन कॉल्स के ब्यौरे के संदर्भ में रेलवे राजस्व हानि को देखा जाये तो यह रेलवे राजस्व हानि कहीं अधिक होगी।

अतः सुझाव दिया जाता है कि :-

उक्त मामले में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2018/Trans cell/Health/Consultation Fee, दिनांक 06.11.2018 के अनुपालन में स्टेशन कॉल अटेंड करते समय पेशेंट से ₹ 100/- परामर्श शुल्क तथा मेडिसिन्स का चार्ज EFT के माध्यम से लिया जाये व संबंधित चिकित्सालय के रजिस्टर में भी प्रत्येक स्टेशन कॉल को दर्ज किया जायं, चिकित्सकों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पेड पेशेंट के मामले में टिकट

Dr. D K Singh
18/8/2021

चेकिंग स्टाफ द्वारा प्रॉपर EFT जारी की गयी है। साथ ही उन सभी स्टेशन कॉल्स जिनमे पेशेंट्स को भारतीय चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा संख्या 628.(4) के अनुपालन में मेडिकल शुल्क (परामर्श शुल्क + औषधियों का खर्च) से मुक्त किया गया हो, को संबंधित चिकित्सकों द्वारा सर्टीफाई किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त प्रकार की सभी स्टेशन कॉल्स का सभी रेलवे स्टेशनों से प्रत्येक माह के अंत में ब्यौरा प्राप्त कर, सभी सम्बंधित चिकित्सालयों के रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों से मिलान कर पेशेंट द्वारा जमा किये गए शुल्क को चिकित्सा विभाग की अर्निंग के रूप में दर्शाए जाये। कृपया उक्त सभी सुझावों के अनुपालन हेतु सभी रेलवे चिकित्सालयों को निर्देशित करें।

कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त पर वउमप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

वैभव 18/08/2021

(वैभव श्रीवास्तव)
उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार
कृते महाप्रबंधक/ सतर्कता